

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्या 49/2019

जुगलसिंह पुत्र लज्जा जाति गुर्जर निवासी बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर



.....रेस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.06.2019 तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 13/ 2019 उनवानी सरकार बनाम जुगलसिंह अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम बाबत ख0न0 539/0.12 है0 में से 0.04 है0 वाकै ग्राम बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थित :- 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक

(2) अपील संख्या 50/2019

निर्भयसिंह पुत्र लज्जा जाति गुर्जर निवासी बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर


.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

.....रेस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.06.2019 तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 14/ 2019 उनवानी सरकार बनाम निर्भयसिंह अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम बाबत ख0न0 539/0.12 है0 में से 0.04 है0 वाकै ग्राम बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उपस्थित :- 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक

(3) अपील संख्या 51/2019

मोहन पुत्र लज्जा जाति गुर्जर निवासी बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर



.....रैस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.06.2019 तहसीलदार बयाना। पत्रावली संख्या 12/ 2019 उनवानी सरकार बनाम मोहन अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम बाबत ख0न0 539/0.12 है0 में से 0.04 है0 बाँके ग्राम बस्त्रावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।


उपस्थित :- 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

उपरोक्त तीनों अपीलों में समान पक्षकारान के हित एवं समान आराजी होने के कारण तीनों पत्रावलियों को संलग्न किया जाकर एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध रैस्पोजेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 20.06.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलान्त आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 539 रकबा 0.12 है0 किरम चारागाह में से 0.04 है0 पर अतिक्रमी मानकर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भाजपुरा (राज.)

तीनों अपीले दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि सन् 1972 में अति वर्षा होने के कारण बन्ध बारैठा का बॉध टूट जाने पर अपीलान्त के पिता लज्जाराम सहित 70 परिवारों के घर बाढ की चपेट में आने पर तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा उक्त परिवारों को सुरक्षित जगहों पर बसाये जाने के लिये तत्काल कार्यवाही करने के आदेश दिये व उक्त परिवारों को बाढ में बहने से बचाने की कार्यवाही में सभी परिवार साविक खसरा नम्बर 218 एवं 220 में बसा दिये गये व बाढ पीडितों को यथा सम्भव आर्थिक सहायता से उन्हे बसाया गया, सभी परिवार आज भी उसी जगह में अपने कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। उन्होने यह भी जाहिर किया कि सन् 1999 में उक्त भूखण्डों को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर सक्षम अधिकारियों को भेज दिया गया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि सन् 1996 में उक्त भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही कराई गई जो जिला कलक्टर द्वारा बेदखल करने की बजाय आबादी में परिवर्तित कराने हेतु तहसीलदार बयाना को भेज दिया गया तथा तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 15.02.2001 के द्वारा अपीलान्त के पिता की बेदखली की कार्यवाही समाप्त कर आबादी में परिवर्तित करने हेतु पटवारी को हिदायत दी गई। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्त का विवादित आराजी नाजायज कब्जा नहीं है, सन् 1972 से उनका परिवार इस भूखण्ड पर रह रहा है, उसका कोई नया अतिक्रमण नहीं है, पहले से ही सन् 1997 में ही बेदखली कार्यवाही जिला कलक्टर के आदेश से समाप्त हो गई है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्त व उसके सगे तीनों भाई एक ही मकान में व एक ही जगह में रहते हैं, फिर भी अलग अलग रिपोर्ट करने में कानूनी भूल की है। अन्त में वकील अपीलान्त ने अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षकरण के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक ने वक्त सुनवाई अपने कथनों के समर्थन में नकल न्यायालय तहसीलदार बयाना की आर्डरसीट दिनांक 15.02.2001 पेश की जिसमें विवादित खसरा नम्बर 538/0.25, 539/0.12, 540/1.15, 541/0.05, 542/0.49, 543/0.17, 618/0.14, 619/0.14, 620/0.9, 612/0.57 सिवायचक, 613/0.05, 515/0.36 सिवायचक, 615/0.05 सिवायचक, 617/0.29 सिवायचक पर आबादी बसी होने के कारण धारा 91 एलआरएक्ट के तहत बेदखल की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होना एवं उक्त आराजी को आबादी विस्तार के लिये सुरक्षित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी बयाना/जिला कलक्टर भरतपुर को भिजवाये जाने का उल्लेख है। सरपंच ग्राम पंचायत पाली डांक के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 28.10.99 एवं प्रस्ताव संख्या 3 व 4 दिनांक 12.04.2013 के द्वारा विवादित भूमि के आलावा कई खसरा नम्बरान की भूमि को आबादी में परिवर्तित किये जाने हेतु अनापत्ति जारी की है। तहसीलदार बयाना के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/348 दिनांक 07.07.2020 की प्रति पेश की जिसमें चारागाह एवं सिवायचक भूमि को आबादी में परिवर्तन कराया जाकर ग्राम पंचायत पालीडांग से नियमानुसार पट्टे जारी कराने की सिफारिस जिला कलक्टर भरतपुर की गई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन पर गौर किया कि सन् 1972 में अति वर्षा होने के कारण बन्ध बारैठा टूट जाने से बाढ में डूबे परिवारों को तत्कालीन जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये खसरा नम्बर 218 एवं 220 में बसा दिया गया था, तभी से यह उक्त भूमि पर निवास करते चले आ रहे है के बिन्दु पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 में से केवल बेदखली की कार्यवाही को स्थगित किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि:-

अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार बयाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 में दिये गये निर्णय में से बेदखली आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है तथा तहसीलदार बयाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि तहसीलदार बयाना के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/348 दिनांक 07.07.2020 प्रकरण के निर्णयानुसार प्रकरण को पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन कमेटी के समक्ष प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति के साथ नायब तहसीलदार बयाना की पत्रावली वापिस लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।




(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)